New Delhi, for the year 1986-87, under section 36 of the Employees' State Insurance Corporation Act, 1948.

(ii) Statement giving reasons for the delay in laying the paper mentioned at (i) above.

[Placed in Library. *See* No. LT-5542/88 for (i) and (ii)]

I. Report and Accounts (1986-87) of the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur and related papers.

II. Report and Accounts (1986-87) of the National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun and related papers.

III. Report and Audited Accounts (1986-87) of the National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad and related papers.

IV. Report and Audited Accounts (1986-87) of the Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Bombay and related papers.

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव): महोदया, मैं आपकी अनुमति से डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :

I( ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :—

(i) 1986-87 के वर्ष के लिये भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर का चौदहवां प्रतिवेदन और लेखा लेखाओं पर लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सहित।

(ii) निगम के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1)(i) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)

[पुस्तकालय में रखी गई। (i) और (2) के लिये देखिये सं०एल० टी०—5484/88]

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :—

(i) (क) 1986-87 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, देहरादून का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(ख) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालयमें रखी गई। (क) से (ग) तक देखिये सं० एल० टी०—5488/88]

(ii)(क) 1986-87 के वर्ष के लिए मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान, सिकन्दराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। (क) से (ग) तक देखिये सं० एल०टी०—5487/88]

(iii) (क) 1986-87 के वर्ष के लिये अलीयावर जंग श्रवण-बाधितार्थ राष्ट्रीय संस्थान, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। (क) से (ग) तक देखिये सं० एल० टी० 5490/88]

I. Report and Audited Accounts (186-87) of the National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack and related papers.

II. Report and Accounts (1986-87) of the National Institute for the Orthopaedically Handicapped Calcutta and related papers.

III. Report and Audited Accounts (1986-87) of the Institute for the Physically Handicapped, New Delhi and related papers.

श्रीमती उमति ओरांव: महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति भी (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूं :—

(i) (क) 1986–87 के वर्ष के लिये राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्र की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। (क) से (ग) तक देखिये सं० एल० टी० 5485/88]

(ii) (क) 1986–87 के वर्ष के लिये अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय संस्थान कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(ख) संस्थान के कायकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। (क) से (ग) तक देखिये सं० एल०टी०–5486/88]

(iii) (क) 1986–87 के वर्ष के लिये विकलांग व्यक्तियों के लिये संस्थान, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई (क) से (ग) तक देखिये सं०एल०टी०- 5489/88]

Food Corporations (Amendment) Rules, 1987

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): Madam, I beg to lay on the Table, under sub-section (3) of section 44 of the Food Corporations Act, 1964, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Food and Civil Supplies Notification G.S.R. No. 924(E), dated the 20th November, 1987, publishing the Food Corporations (Amendment) Rules, 1987. [Placed in Library. *See* No. LT-5543/88]

I. Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue) and related papers.

II. Central Excise (Amendment) Rules, 1988.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Madam, on behalf of Shri B. K. Gadhvi, I beg to lay on the Table:—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under section 159 of the Customs Act, 1962, together with Explanatory Memoranda on the Notifications:—

(i) G.S.R. No. 957(E), dated the 4th December, 1987, amending